तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/3/2021	अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण सख्या 297 दिनांक 19/06/1989 ग्राम पंचायत खुडाला के विरूद्व प्रस्तुत कि गई। जो दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट का कथन रहा कि नामान्तरकरण सख्या 297 विधि विरूद्व एवं उतराधिकारी अधिनियम के विरूद्व एवं बिना जांच किए स्वीकृत किया गया है क्योंकि उक्त म्यूटेशन खातेदार भबूता व छोगा के फौत होने के बाद एक साथ भरे गये जिसमें भबूताराम के वारिस मेकाराम का नाम दर्ज कर दिया परन्तु अपीलांट जो कि छोगाराम के वारिस है का नहीं भरकर मेकाराम के ही नाम भर दिया गया जबकि मेकाराम–भबूताराम का वारिस है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन संख्या 297 निरस्त किए जाने योग्य है। अपील के दर्ज होने के बाद अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट में राजीनामा हो गया है जिसमें छोगाराम का फौतरगी म्यूटेशन उसकी पुत्रियां मोहनी देवी एवं साउडी उर्फ सायरी का नाम दर्ज कर दिया जावें तथा भबूताराम के वारिस के तौर पर मेकाराम दर्ज कर दिया जावें। तथा नामान्तरणकरण 297 खारिज कर उपरोक्तानुसार म्यूटेशन भर दिया जावें। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरणकरण संख्या 297 भबूताराम एवं छोगा के फौतेदगी का म्यूटेशन है जिनका वारिस मेकाराम को बताया गया है। जबकि अपीलांट एवं स्वंय मेकाराम ने छोगाराम के वारिस उनकी पुत्रियों मोहनी एवं साउड़ी को बताया है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन गलत दर्ज होना प्रतीत होता है जिसमें उतराधिकार अधिनियम की पालना भी नहीं की है तथा पक्षकारान ने राजीनामा भी होना प्रकट किया एंव अपीलांट का नाम स्वीकार करने का कथन किया है। इन तमाम परिस्थिति में अपीलांट की अपील राजीनामा के तहत स्वीकार की जाना उचित प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर म्यूटेशन संख्या 297 ग्राम खुडाला निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

को निर्देश दिए जाते है कि छोगाराम का फौतदगी म्यूटेशन उनके वारिसान के नाम से किया जावें तथा भबूताराम का फौतेदगी म्यूटेशन उसमें वारिस मेकाराम के नाम से किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी